उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन विभाग
संख्या- 51/2019/1087/छप्पन-2019-115/2012
लखनऊ : दिनांक : 12 जून, 2019

<u>कार्यालय -ज्ञाप</u>

<u>नियुक्ति</u>

नागारिक उड्डयन निदेशालय उ0प्र0 की परिचालन इकाई में पायलट (फिक्स्ड विंग) के पद पर श्री विकास शर्मा को कार्यालय ज्ञाप संख्या-72/2018/1466/छप्पन-2018-23/2017 दिनांक 23 जुलाई, 2018 द्वारा संविदा पर नियुक्ति प्रदान की गयी थी ।

2- श्री विकास शर्मा के अनुरोधानुसार योगदान प्रस्तुत करने की तिथि को बढाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

3- सम्यक् विचारोपरान्त नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 की परिचालन इकाई में पायलट (फिक्स्ड विंग) के पद पर श्री विकास शर्मा को पूर्व स्वीकृत पारिश्रमिक को संशोधित करते हुए रू0 8,50,000 /- (रूपए आठ लाख पचास हजार मात्र) के नियत मासिक पारिश्रमिक, अनुमन्य विशेष उड़ान भत्ते एवं नियमानुसार अनुमन्य वार्षिक वृद्धि पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये संविदा पर नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- श्री विकास शर्मा को उक्त संविदा अवधि में उपर्युक्त नियत मासिक पारिश्रमिक व अनुमन्य विशेष उड़ान भत्ते के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे।

5- श्री विकास शर्मा से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराया जायगा और उसकी एक प्रति सम्बन्धित पायलट को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

6- उपर्युक्त नियुक्ति आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर श्री विकास शर्मा द्वारा स्वीकृति-पत्र प्रेषित करना अनिवार्य है। यदि वे इस पत्र की तिथि से तीन माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनकी नियुक्ति स्वत: निरस्त समझी जायेगी। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में अन्य कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

7- श्री विकास शर्मा को अनुमन्य किया जा रहा पारिश्रमिक अपवादस्वरूप है। इसे भविष्य में दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा ।

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

श्री विकास शर्मा,
A-203, संतुष्टि अपार्टमेंट्स,
विवेकानन्द मार्ग, लखनऊ-226001

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0सं0-51/2019/1087(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अभियुक्ति के साथ कि वे श्री विकास शर्मा उपर्युक्त से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को और इसकी एक प्रति सम्बन्धित पायलट को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।

3- मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियन्त्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

6- कार्मिक अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-4

7- सम्बन्धित पायलट की व्यक्तिगत पत्रावली के लिए/ गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।